

उनवान


गणेश नार

बनाम

अश्वि सिंह

किस्म धारा..... 188..... बर्द/प्रा.पत्र

मु0नं0 152/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9/11/24	<p>प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला शाहपुरा से संयुक्त शासन सचिव राजस्व(ग्रुप-1) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक/प.9(89) राज-1/2023/तहसील सवाईपुर दिनांक 03.08.2023 से जारी अधिसूचना अनुसार तहसील बनेडा का पुनर्गठन होने से ग्राम पंचायत बबराणा / खेडलिया / महुआखुर्द को उपखण्ड भीलवाडा सम्मिलित किये जाने से इस न्यायालय में स्थानान्तरित की है, प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी कर प्रकरण वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 21/10/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी एवं                      पदेन सहायक कलक्टर                      भीलवाडा                 </p> <p>पत्रावली पैदा हुई। बाकी अधिवक्ता मजुपास्थिर है। उल्लेखी अधिवक्ता स्थिर है। प्रकरण जौम सुन के पत्रावली हेतु दि. 21/10/24 को पेश हो।</p> <p>08-1-25 पत्रावली पेश हुई। संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-1) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक - पं.9(89) राज-1/2024 राजस्व रेफरेंस नं० 12740848 दिनांक 1-1-25 से जारी अधिसूचना अनुसार तहसील भीलवाडा, मांडल, पं. डेन्डा 1) पुनर्गठन होने से ग्राम पंचायत महुआखुर्द/खेडलिया/बबराणा को उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा से उपखण्ड अधिकारी बनेडा से सम्मिलित किये जाने से न्यायालय राजा की इस पत्रावली से उपखण्ड अधिकारी बनेडा में स्थानान्तरित हो जाती है। प्रकरण जौम सुनार को 22 नम्बर से उमलो।</p>	<p>Noted                      मजुपास्थिर                      पत्रावली</p>

अधिकारी